- अत्याधिक प्रदूषण फैलाने वाले 17 श्रेणियों के उद्योगों की कुल 1551 इकाइयों में से 1259 उद्योगों ने पहले ही प्रदूषण नियंत्रण की पर्याप्त सुविधाएं लगा ली हैं जो कि निर्धारित मानकों का अनुपालन करती है। 112 इकाइयों को बंद कर दिया गया है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नियमित रूप से मानीटरन की जा रही है और दोषी इकाइयों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
- देश में प्रदूषण निवारण के लिए 24 समस्याग्रस्त क्षेत्रों का पता लगाया जा चुका है। 14 क्षेत्रों के लिए कार्य योजनाएं तैयार कर ली गई है जो कि कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर है।
- वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक अधिसूचित किए गए हैं। इनमें विभिन्न क्षेत्रों जैसे आवासीय, औद्योगिक और संवेदनशील क्षेत्रों के लिए मुख्य वायु प्रदूषकों के मानक भी शामिल हैं।
- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देशभर में फैले 290 परिवेशी वायु गुणवत्ता मानीटरन केन्द्रों और 480 जल प्रदूषण मानीटरन केन्द्रों के नेटवर्क की सहायता से परिवेशी वायु तथा जल गुणवता की निगरानी कर रहा है।
- पैट्रोल एवं डीजल से चलने वाले सभी श्रेणी के वाहनों के लिए 1.4.96 से कठोर उत्सर्जन मानक शुरू किए गए हैं। इन्हें 1.4.2000 से और अधिक कठोर बनाया जाएगा। इससे स्वच्छ वाहन प्रयोग में आएंगे और उनमें बेहतर प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से उत्सर्जन में कमी आएगी।
- केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्यों को सलाह दी है कि वे सड़क पर चलने वाले वाहनों से उत्पन्न धुएं के लिए मानकों को लागु करें और आम जनता में वाहनों के रख-रखाव, वाहनों के प्रदूषण से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों और उत्सर्जन मानकों के उल्लंघन के सुधारात्मक उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करें।
- दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता तथा चिन्नई चार महानगरों में जून 1994 से कम सीसायुक्त पेट्रोल शुरू कर दिया गया है। इसके पश्चात् उक्त चार महानगरों में 1.4.1995 को सीसा रहित पेट्रोल शुरू किया गया है।
- सरकार चरणबद्ध रूप से सीसा रहित पेट्रोल तथा कैरेलैटिक कनवर्टर लगे वाहन शुरू करने तथा डीजल से चलने वाले स्वच्छ वाहनों के लिए कम सल्फरयुक्त डीजल शुरू करने की एक बड़ी कार्य योजना कार्यान्वित कर रही है। पेट्रोल और डीजल के लिए ईंधन गुणात्मक मानक अधिसूचित कर लिए गए हैं।
- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा देश के 12 प्रमुख शहरों में वाहन प्रदूषण के संबंध में व्यापक सर्वेक्षण किए गए हैं।

Cultivation of Coloured Cotton

1531. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the projects proposed to be implemented for cultivation of coloured cotton on a large scale;

(b) if so, the likely impact of these projects on environment crop fields and possibility of condemnation leading to crisis situation;

(c) the reaction of the Government to the proposal of Cotton Corporation of India which has made much headway in promoting coloured cotton cultivation;

(d) the policy of the Government in regard to cultivation of coloured cotton;

(e) the steps taken to seek international cooperation to augment production of long staple high yielding varieties of cotton and results achieved so far; and

(f) the significiant research achievement of Cotton Research Institute during recent years?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) to (d) At present, there is no project proposal for the cultivation of coloured cotton on a large scale. However, Indian Council of Agricultural Research and Cotton Corporation of India have initiated a network of research programme in certain parts of the country. The cultivation of naturally coloured cotton will not have any adverse affect on environment. However, its cultivation is to be confined to restricted areas in order to avoid contamination of white cotton.

(e) The cotton germplasm are being collected from different countries for developing suitable long staple varieties/ hybrids in the country. Some of prominent varieties and hybrids developed include MCU5, MCU5 VT, DCH 32, MB 224, Varakaxnu, JKHYI etc.

(f) Besides improving production technologies, the Central Institute for Cotton Research has developed various varieties and hybrids of cotton during recent year such as Anjali, Arogya, CNH 36, VRS7, Kirti, Surya etc.

दुग्ध उत्पादन और इसका निर्यात

1532. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दुग्ध और दुग्ध उत्पादों का काफी अधिक मात्रा में निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के वर्षों के दौरान निर्यात किये गये दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों की पृथक-पृथक मात्रा और मूल्य क्या-क्या है; और

(ग) देश में दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की आवश्यकता को अनदेखा करके सरकार द्वारा इनके निर्यात की स्वीकृति और बढ़ावा देने के क्या कारण हैं?

पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों की थोड़ी सी मात्रा का ही निर्यात किया जा रहा है। 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान निर्यात की मात्रा तथा मूल्य दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। (नीचे देखिए)

(ग) देश में दुग्ध उत्पादन तथा उसकी आवश्यकताओं पर विचार करने के पश्चात् प्रतिवर्ष मात्रात्मक सीमा के भीतर दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के निर्यात को विनियमित किया जाता है।

विवरण

1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों का निर्यात
स्रोत: डी.जी.सी.आई.एस. वार्षिक खण्ड

(मात्रा किलोग्राम में)

(मूल्य रूपयों मे)

क्र.सं.	कोड	उत्पाद	1993-94	
			मात्रा	मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	0402	दूध तथा क्रीम, सांद्रित अथवा चीनी मिला हुआ अथवा अन्य सुस्वादु सामान?		
	0402.10	चूर्ण, दानों के रूप में अथवा अन्य ठोस रूप में, वजन से 1.5 से कम वसा की मात्रा		
1.	04021001	स्किम्ड दूध	559245	22252216
2.	04021002	सम्पूर्ण दूध	400	35746
3.	04021003	शिशुओं के लिए दुग्ध आहार	203618	13305013
4.	04021009	अन्य दुग्ध चूर्ण	138635	7373137
	040221	चूर्ण, दानों के रूप में अथवा अन्य ठोस रूप में, वजन से 1.5 प्रतिशत अधिक वसा की मात्रा		